



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-01092025-265846
CG-TL-E-01092025-265846

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3855]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2025/भाद्र 7, 1947

No. 3855]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2025/BHADRA 7, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 28 अगस्त, 2025

का.आ. 3960(अ).— केंद्र सरकार ने रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24), की धारा 20(ए) की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii), राजपत्र संख्या 366, दिनांक 22.01.2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), में प्रकाशित भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में, का.आ. संख्या 370(ई), दिनांक 21.01.2025 द्वारा तेलंगाना राज्य के भद्राद्रि कोत्तगूडेम जिले में विशेष रेलवे परियोजना, “डोर्नकल और भद्राचलम रोड स्टेशनों के बीच रेलपथ दोहरीकरण” हेतु उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को अर्जित करने के आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत 29 जनवरी, 2025 को दैनिक समाचारपत्रों “ऑल इन वन”, “द न्यू इंडियन एक्सप्रेस”, “द हिंदू”, “मन तेलंगाना” और “विविधा” में सुनील कुमार वर्मा, मुख्य इंजीनियर, निर्माण-IV, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद के अनुमोदन से प्रकाशित किया गया था।

और जबकि, तेलंगाना राज्य के भद्राद्रि कोत्तगूडेम जिले के सुजातानगर मंडल के सर्वाराम गाँव के लिए उप विभागीय मजिस्ट्रेट/राजस्व मंडल अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अधिग्रहण), को कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुईं।

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्र सरकार, सक्षम प्राधिकारी के उक्त रिपोर्ट की प्राप्ति तथा उक्त अधिनियम की धारा 20(ई) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20(ई) की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्र सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी.

अनुसूची

भूमि अधिग्रहण का संक्षिप्त विवरण :- यात्री और माल सुविधा के लिए भद्राद्रि कोत्तगूडेम जिला क्षेत्राधिकार के कोत्तगूडेम मंडल के सीमा के भीतर डोर्नकल जंक्शन और भद्राचलम रोड स्टेशनों के बीच रेलपथ दोहरीकरण. विशेष रेलवे परियोजना के लिए किसी संरचना सहित या उसके रहित अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

गाँव : सर्वाराम			मंडल : सुजातानगर				जिला : भद्राद्रि कोत्तगूडेम	
क्रम सं.	एसडीआर के अनुसार सर्वेक्षण सं.	भू भारती के अनुसार सर्वेक्षण सं.	अधिग्रहण के अधीन क्षेत्र (एकड़-गुंटा में)	टाइटल का प्रकार	भूमि का प्रकार	पट्टादार एवं एंजॉयर का नाम	अधिग्रहण के अधीन क्षेत्र (एकड़-गुंटा में)	संरचनाएं/ पेड़ आदि, यदि कोई हो तो,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	66/1/2	66/47/1	0.39	पट्टा	शुष्क	बनोत बच्चा सुपुत्र भिलिया (पट्टादार एवं एंजॉयर)	0.01 ¼	कुछ नहीं
2	66//1/2	66/48/1/4	0.34	पट्टा	शुष्क	बनोत साजु सुपुत्र भिलिया (पट्टादार एवं एंजॉयर)	0.01	कुछ नहीं
3	66//1/2	66/48/1/6/1	0.38	पट्टा	शुष्क	बनोत धर्मा सुपुत्र चंदू (पट्टादार एवं एंजॉयर)	0.01	कुछ नहीं
4	66/1/2	66/54/1	1.19 ½	पट्टा	शुष्क	इस्लावत हाथीराम सुपुत्र धंज्या (पट्टादार एवं एंजॉयर)	0.00 ¼	कुछ नहीं
5	66/1/2	66	0.00 ½	सरकारी	शुष्क	सड़क (झाडियां)	0.00 ½	कुछ नहीं
6	66/1/3	66/54/1	1.19 ½	पट्टा	शुष्क	इस्लावत हाथीराम सुपुत्र धंज्या (पट्टादार एवं एंजॉयर)	0.03 ¼	कुछ नहीं

7	66/1/4	66/53	1.27	पट्टा	शुष्क	मालोत द्वाली (पट्टादार) मालोत गोपाल सुपुत्र तुलसीराम (एंजॉयर)	0.01 ½	कुछ नहीं
8	96/1/2	66/53	1.27	पट्टा	शुष्क	मालोत द्वाली (पट्टादार) मालोत गोपाल सुपुत्र तुलसीराम (एंजॉयर)	0.14 ¼	कुछ नहीं
9	96/1/2	96/54	1.01	पट्टा	शुष्क	इस्लावत चंद्रू (पट्टादार) इस्लावत श्रीनू सुपुत्र चंद्रू (एंजॉयर)	0.02 ½	कुछ नहीं
						कुल	0.26	

[फा. सं. W.Con.182/SRP-05/DKJ-MU/23-24/246/20E/260825]

सुनील कुमार वर्मा, मुख्य इंजीनियर / निर्माण-IV

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad , the 28th August, 2025

S.O. 3960(E).— Whereas, by the notification by Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number SO No.370 (E), Dated. 21.01.2025 Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section 3 Sub section (ii), Gazette No.366, dated. 22.01.2025 (herein after referred to as said notification) and issued under sub section (1) of section 20 (A) of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of the Special Railway Project, “Doubling of Railway line between Dornakal and Bhadrachalam stations” in the District of Bhadrachalam Kothagudem in the state of Telangana.

And whereas an extract of this notification was published in the daily newspapers ‘All in one, The new Indian Express, The Hindu, Mana Telangana & Vividha’ on 29th January, 2025 with the approval of Sunil Kumar Verma, Chief Engineer, Construction-IV, South Central Railway, Secunderabad, under sub -section (4); Section 20A of this Act.

And Whereas, Sub Divisional Magistrate/Revenue Divisional Officer and Competent Authority (L.A), Kothagudem have not received any objections for Sarvaram village of Sujathanagar Mandal of Bhadrachalam Kothagudem District of Telangana State.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of 20(E) of this Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, on receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20(E) of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands mentioned in the Schedule have been annexed, to be obtained here for the purpose mentioned above;

Further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20(E) of this Act, the Central Government, hereby declares on publication of notification in the Official Gazette, that the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government is from all encumbrances.

SCHEDULE

Description of lands in Acquisition: Railway doubling track between Dornakal Junction and Bhadrachalam Road Stations within the limits of Kothagudem Division of Bhadradri Kothagudem District jurisdiction for passenger and freight facility. Brief description of land to be acquired with or without structures in a particular Railway project.

Village: Sarvaram,

Mandal: Sujathanagar,

District: Bhadradri Kothagudem

Sl. No.	Sy.No. as per SDR	Sy.No. as per Bhu Bharathi	Area under Occuision in Ac.gts	Type of Title	Type of land	Name of the Pattadar & enjoyer	Extent under Acquisition in Ac.gts	Structures/ Trees etc., if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	66/1/2	66/47/1	0.39	Patta	Dry	Banoth Badya S/o Bhiliya (Pattadar & enjoyer)	0.01 ¼	NIL
2	66//1/2	66/48/1/4	0.34	Patta	Dry	Banoth Saaju S/o Bhiliya (Pattadar & enjoyer)	0.01	NIL
3	66//1/2	66/48/1/6/1	0.38	Patta	Dry	Banoth Dharma S/o Chandu (Pattadar & enjoyer)	0.01	NIL
4	66/1/2	66/54/1	1.19 ½	Patta	Dry	Eeslavath Hathiram S/o Dhanjya (Pattadar & enjoyer)	0.00 ¼	NIL
5	66/1/2	66	0.00 ½	Govt	Dry	Road (Donka)	0.00 ½	NIL
6	66/1/3	66/54/1	1.19 ½	Patta	Dry	Eeslavath Hathiram S/o Dhanjya (Pattadar & enjoyer)	0.03 ¾	NIL
7	66/1/4	66/53	1.27	Patta	Dry	Maloth Dwali (Pattadar) Maloth Gopal S/o Tulasiram (Enjoyer)	0.01 ½	NIL
8	96/1/2	66/53	1.27	Patta	Dry	Maloth Dwali (Pattadar) Maloth Gopal S/o Tulasiram (Enjoyer)	0.14 ¼	NIL
9	96/1/2	96/54	1.01	Patta	Dry	Eeslavath Chandru (Pattadar) Eeslavath Srinu S/o Chandru (Enjoyer)	0.02 ½	NIL
						TOTAL	0.26	

[F. No. W.Con.182/SRP-05/DKJ-MU/23-24/246/20E/260825]

SUNIL KUMAR VERMA, Chief Engineer/Con-IV